2 (नियम 11 (4) देखिए) रिका का अधिकार

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी (ANUPPUR), मध्यप्रदेश

दुरभाष:-

क्रमांकः/स्कल आई.डी. - 47314135/39775 प्रति.

दिनांक:- 23/04/2017

प्रबंधक.

(BHARAT JYOTI VIDYALAYA SAMATPUR ANUPPUR WARD -7)

विषयः निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम,2010 के नियम 11 के उपनियम (4) के अधीन स्कल मान्यता प्रमाण पंजा

महोदयां महोदया.

आपके आवेदन पत्र दिनांक 01/01/1900 तथा इस संबंध में स्कूल से पशातवर्ती पत्र व्यवहार/ निरीक्षण के संदर्भ में, मैं आपकी स्कृत -BHARAT JYOTI VIDYALAYA SAMATPUR ANUPPUR WARD -7, BHARAT JYOTI VIDYALAYA SAMATPUR ANUPPUR WARD -7 DISTT. ANUPPUR (M.P.) को कक्षा Nursery से कक्षा 8 तक के लिए दिनांक 01/04/2017 से 31/03/2020 तक कालावाँघ के लिए मान्यता प्रदान करता है।

उपसेक स्वीकृति निम्नालिखित शतौ की पृति के अध्यधीन होगीः

मान्यता विस्तारित नहीं होगी तथा कथा 8 से आगे की मान्यतार्खबहता की कोई बाध्यता किसी भी रूप में विविधित नहीं होगी।

स्कुल निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (ज्यावंध 1) तथा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम,

2010 (उपाबंध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।

स्कूल, अपने पड़ोस की सीमा के वंचित समृह तथा कमजोर वर्ग के बालकों को कथा 1 में न्यूनतम 25 प्रतिसत प्रवेश देगा। उस दया में, स्कूल यदि सहायता प्रास स्कूल हैं तो इसमें प्रवेषित बालकों को उस अनुपात में निःशुल्क और अनिवाय प्रारंभिक शिक्षा देगा जिस रूप में उसके वार्षिक आवर्ती ह्यय को पूरा करने हेतु इस प्रकार वार्षिक आवर्ती सहायता या अनुवान प्रास होता है किंतु यह न्यून्तम पटनीस प्रतिशत के अधीन होगा वशते कि जहां स्कूल पूर्व स्कूल (प्रि स्कूल) शिक्षा दी जाती है वहां अधिनियम की बास 12 की उपबास (1) के खण्ड (क) से (ग) के उपवध प्रि.स्कूल में प्रवेश के लिए लागू होंगे।

पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए स्कूल को अधिनियम की धारा 12 (2) के अनुसार व्यय की प्रतिपृति की जाएगी तथा ऐसी प्रतिपृति प्रांत करने के लिए स्कूल को पृथक से बैंक खाता उपलब्ध कराना होगा!

- सोसाइटी/क्कुल कोई भी कैपिटेशन फीस का संग्रह नहीं करेगा तथा बालक या उत्तके पालक या अभिभावक के साथ किसी छानबीन प्रक्रिया को नहीं अपनाएगा।
- स्कुल किसी भी बालक को प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा-
 - आयु के सब्त के अभाव में:
 - यदि प्रवेश के लिए विहित की गई विस्तारित कालावधि के मण्यात् ऐसा प्रवेश चाहा राजा है;
 - धर्म, जाति या मुलवंश, जन्मस्थान या इनमें से किसी भी आधार पर। (ग)
- स्कूल सुनिश्चित करेगा कि-
 - किसी स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी भी बालक को किसी कक्षा में रोका या निष्कासित नहीं किया जाएगा;
 - किसी बालक को भारीरिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा;
 - प्रारंत्रिक शिक्षा पूर्ण होने तक बालक की कोई बोर्ड परीक्षा उतीर्ण करने की आवश्यकता नहीं होगी;
 - नियम 19 के अधीन प्रारंभिक शिक्षा पुण करने वाले प्रत्येक बालक को प्रमाण पत्र दिया जाएगा;
 - अधिनियम के उपबंधों के अनुसार निश्कानिशंश आवश्यकता वाले बालकों को समाहित किया जाएगा;
 - अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन निर्धारित न्यूनतम योग्यता अनुसार शिक्षकों की भर्ती की जाएगी; बशर्त कि वर्तमान में कार्यरत जो शिक्षक इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर न्यूनतम अहंता नहीं रखते हैं, उन्हें अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से 5 वर्ष की अवधि में निर्धारित न्यूनतम अहंता प्राप्त करनी होगी
 - शिक्षकों को अधिनियस की धारा 24(1) के अधीन विनिदिष्ट कर्तव्यों का पालन करना होगा;
 - प्रायवेट टीचिंग की गतिविधियों में शिक्षक स्वयं भ्राग नहीं लेंगे/लेंगी।
- स्कुल समुचित प्राधिकारी व्दारा निर्धारित पाठ्यचर्या का अनुसरण करेगा।
- अधिनियम की धारा 19 में विहित किए अनुसार स्कूल में उपलब्ध सुविधा के अनुपात में स्कूल में बच्चों का नामांकन किया जाएगा।

Manager Bharat Jyoti Vidhyalya Anuppur, Distr.-Anuppur (M.P.) Bharat Jyoti Vidyalaya Anuppur (M.P.)

=

School Recognition Certificate generated and downloaded from Education Portal Iwww.educationportal.mp.gov.in

 स्कूल व्यास अधिनियम की धारा 19 में विनिदिष्ट स्कूल के मानक एवं मापदण्ड बनाए रखे जाएंगे। ॲतिम निरोक्षण के समय स्कूल में उपलब्ध सुविधाएं निम्नानुसार पाई गर्यी:-

| | सुविधार निम्नानुसार पाइ गया:- | H. | | 14 | | |
|------------|---|--|--|--|------------------|--|
| | सुविधाएँ | पॉर्टल में दुई | | | यास्तविक स्थिति | |
| 8 | स्कूल के भवन की स्थिति | स्वयं क | । भवन | | स्वर्थ का झवन | |
| 9 | स्कूल का कुल क्षेत्रफल (वर्ग फीट में) | 176000 | | 176000 | | |
| 10 | स्कूल का निर्मित क्षेत्रफल (वर्ग फीट में) | 12000 | | 11 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 12000 | |
| 11 | खेल मेंदान का क्षेत्रफल (वर्ग फीट में) | 45000 | | | 45000 | A SECULAR SECURAR SECU |
| 5. | अधोसंरचना का विवरण | | | | | |
| UsalVi NV2 | | Roomsas | oomsas प्रदेश में र | | ंवास्त | विक स्थिति |
| | | perRIE | संख्या | औसत आकार (वर्ग फीट में) | संख्या | औसत आकार (वर्ग फीट में) |
| | कद्या आठवीं तक उपयोग में आ रहे कद्या कदा | | 20 | 500 | 20 | 500 |
| <u> </u> | कार्यालय कथः-सह-अण्डार कथः-सह-प्रधानाध्यापक कथ | | # | 550 | | 550 |
| } | श्रोजनालय-सह-शण्डार | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a | जन्य सुविधाएँ | | | | पोर्टल में दर्ज़ | वास्तविक स्थिति |
| 24.70 | क्या सभी सुविधाओं तक पहुंच बाधा रहित हैं हां/नहीं | | | | ₹Î | हाँ |
| | पठन पाठन सामग्री (हस्ताक्षरित सूची अपलोड करें) | | | | हाँ | हाँ |
| | खेलकूद एवं खेल उपकरण (हस्ताहारित सूची अपलोड व | S. 100 A 100 C 100 | The second secon | हाँ | हाँ | |
| | पुस्तकों की संख्या | | | | 1550 | 1550 |
| , | पर्जिकार/समाचार पत्र | | | | 5 | 5 |
| 128 | पेयजल सुविधा का प्रकार | | * 12 10 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | | Pipe Water | Pipe Water |
| 10.12 | र्पंषजल सुविद्या की संख्या | Commence and the commence of t | | | 2 | 2 |
| | शीचालय का प्रकार (आस्तीय/पश्चिमी/नहीं) | | | The state of the s | Indian | Indian |
|) | लड़कों के लिए पृथक शौचासयों की संख्या | | | The Base State | 8 | 8 |
| 0 | लड़िकर्यों के लिए मृथक शीचालयों की संख्या | Course of Management - Strang Singles Co. | , | | 8 | 8 |
| 1 | विकलांग बच्चों के लिए उपयुक्त शोचालयों की संख्या | | | | | 1 |
| | | | | | | |

- लेखे संपरीदित किए आएंगे तथा चार्टड एकाउन्टेंट ब्दास सत्यापित होंगे और उचित लेखा विवरण नियमों के अनुतार तैंगर होगा। प्रत्येक लेखाओं के विवरणों की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला खिंदा अधिकारी को भैजी जाएगी।
- आपकी स्कूल का मान्यता कोड नम्बर 47314135.. एवं डाईसकोड (DISE) 23470611112 है। इस कार्यालय के साथ प्रज्ञाचार में यह कोड नम्बर संदक्षित किए जाएं।
- ऐसी रिमोर्ट और जानकारी स्कूल व्हारा प्रस्तुत की जाएगी, जो राज्य धिद्या केन्द्रजिला धिद्या अधिकारी व्हारा समय-समय पर अपेटित की जाए, और स्कूल राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करेगा, जैसा कि स्कूल के संचालन की कमियों को दूर करने के लिए अथवा मान्यता की शतों की निर्न्तर पूर्ति सुनिधित करने हेतु जारी किए जाएं।

सोसायदी/न्यास, यदि कोई हो, के पंजीयन का नवीकरण किया जाएगा।

· अन्य शर्तें संलग्न उपावंध "तीन" के अनुसार होंगी।

क्या अन्नि सुरक्षा प्रणाली उपलब्ध हैं ? हां/नहीं

अधिनियम एवं नियम के उपवंधों और मान्यता की शती का उल्लंघन पाए जाने तथा सिद्ध हो जाने पर मान्यता वापस ले ली जाएगी

शहर विशेषकार्गः जिला-सिदारअधिकाराः

ANUPPUR

मध्यप्रदेश

Manager Bharat Jyoti Vidhyalya Anuppur, Distt.-Anuppur (M.P.) Principal
Bharat Jyoti Vidyalaya
Anuppur (M.P.)